खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0033/2018

अशोक कुमार नामा पुत्र श्री भीखराम नामा, मैसर्स संतकृपा मिष्ठान भण्डार, उदेई मोड गंगापुर सीटी जिला सवाई माधोपुर निवासी उदेई मोड़ गंगापुर सीटी

——अपीलार्थी

विरूद्व

1. राज्य सरकार जरिए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री मीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अभिजित शर्मा अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 11.07.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 13.03.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 06/2014 राजस्थान सरकार बनाम अशोक कुमार में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर ने दिनांक 30.10.2013 को अपीलार्थी के यहां से खोया (मावा) का सैम्पल जांच हेतु लिया जो बाद जांच सही मानक का नहीं पाया गया। यह बताया गया कि खोया (मावा) में न्यूनतम 30 प्रतिशत मिल्क फेट होना चाहिए था जिसके स्थान पर 26.26 प्रतिशत था। इसके अलावा कोई कमी नहीं बताई गई जिसपर उसे अभियोजित किया गया तथा आलौच्य आदेश पारित किया गया।

3. यह अपील केवल मात्र शास्ति के बिन्दु पर की गई है तथा अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी छोटा व्यापारी है, गांव से दूध खरीदकर खोया (मावा) बनाता है, जांच में मानवीय भूल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को धारा 31 की उपधारा 02 के अन्तर्गत लाभ

प्रदान किया जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 06/2014 राजस्थान सरकार बनाम अशोक कुमार में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत उसपर 50,000 रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 20,000रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर